रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2693] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2016/कार्तिक 25, 1938
No. 2693] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016/KARTIKA 25, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2016

का.आ.3456(अ).— टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 के आदेश में निहित निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार निम्नलिखित दिशानिदेश बनाता है -

1. **लघु शीर्षक और प्रारम्भ**

(i) इन दिशानिदेशों को काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशानिदेश, 2016 कहा जाएगा।

(ii) ये दिशानिदेश समूचे भारत के लिए लागू होंगे।

(iii) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने नियमों को इन दिशानिदेशों के अनुरूप बनाएंगे।

2. **परिभाषा**

(i) इन दिशानिदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **'फर्नीचर इकाई'** का अर्थ संयंत्र तथा मशीनरी और परिसर सहित इसका अहाता है जिसमें या जिसके किसी भाग में राउन्ड लॉग, जिसे एक अनुज्ञा पत्र धारी काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई या अन्य वैध स्रोतों से आउट सोर्स किया गया हो, को छोड़कर चीरी हुई लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाइवुड अथवा किसी अन्य काष्ठ आधारित का प्रयोग करके काष्ठ आधारित तैयार उत्पादों का निर्माण किया जाता है और जो किसी बेंड सॉ अथवा री-सॉ अथवा 30 सेंटीमीटर से अधिक व्यास के सरकुलर सॉ के बिना परिचालित होता हो।

(ख) 'औद्योगिक संपदा' का अर्थ राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अधिसूचित क्षेत्र है ।

(ग) 'अनुज्ञापत्र' का अर्थ इन दिशानिदेशों के अन्तर्गत प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र है ।

(घ) 'प्रधान मुख्य वन संरक्षक' का अर्थ राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल का मुखिया) है और इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां प्रधान मुख्य वन संरक्षक की रेंक में कोई पद विद्यमान न हो, में विभागाध्यक्ष के रूप में पद नामित अधिकारी भी शामिल होगा ।

(ड.) 'राउन्ड लॉग' का अर्थ प्राकृतिक स्वरूप में लकड़ी का एक टुकड़ा है जिसकी छाल के नीचे 30 सेंटीमीटर अथवा इससे अधिक का मध्य घेरा हो और इसमें ऐसे राउन्ड लॉग को भी शामिल किया जाएगा जिसकी छाल को हटा दिया गया हो अथवा इसके पृष्ठ को इसके परिवहन और या भंडारण में सुविधा के लिए इसे वर्गाकार या वर्गाकार की तरह बनाने के लिए हाथ से या बैंडआरा का प्रयोग करके या किसी अन्य मशीन या उपकरण द्वारा तैयार किया गया हो ।

(च) 'आरा मशीन' का अर्थ राउन्ड लॉग को चीरी हुई लकड़ी के आकारों में बदलने के लिए एक निश्चित संरचना अथवा अहाते में स्थित संयंत्र और मशीनरी है ।

(छ) 'चीरी हुई लकड़ी' का अर्थ शहतीर, कड़ी, पटरा, तख्ता और राउन्ड लॉग को चीरने से प्राप्त अन्य उत्पाद है ।

(ज) 'राज्य स्तरीय समिति' का अर्थ इन दिशानिदेशों के पैरा 3 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति है ।

(झ) 'काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए लकड़ी का निवल अन्तर-राज्य आयात' का अर्थ पिछले तीन कलेंडर वर्षों के दौरान राज्य में वास्तविक रूप में आयातित ऐसी लकड़ी की निवल मात्रा का तीन वर्षों का संचलन औसत है ।

(ञ) 'मुलम्मा मिल अथवा प्लाइवुड मिल' का अर्थ संयंत्र तथा मशीनरी और परिसर है जिसमें अथवा जिसके किसी भाग में इलैक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल विद्युत की सहायता से अथवा हाथ से मैकेनिकल अथवा कैमिकल प्रक्रिया द्वारा लकड़ी/काष्ठ के परिरक्षण तथा उपचार सहित अपेक्षित आकार में बदलने, टुकड़े करने, छिलने, सजाने अथवा सुन्दर बनाने का कार्य किया जाता है ।

(ट) 'काष्ठ आधारित उद्योग' का अर्थ ऐसा उद्योग है जिसमें लकड़ी का प्रसंस्करण इसकी कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है (आरा मशीन/मुलम्मा/प्लाइवुड/लुग्दी अथवा चंदन, कत्था की लकड़ी इत्यादि जैसा कोई अन्य स्वरूप)। इसमें मिल शामिल है किन्तु फर्नीचर इकाई शामिल नहीं है।

(ठ) 'वर्ष' का अर्थ आने वाले वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से मार्च के 31 वें दिन के बीच का वित्तीय वर्ष है।

(ii) इन दिशानिदेशों के अन्तर्गत प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए और भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा किसी राज्य में यथा प्रयोज्य संबद्ध स्थानीय वन अधिनियम, और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का अर्थ ऐसे अधिनियमों अथवा नियमों में उनके अर्थ के समान होगा ।

(iii) किसी शब्द की व्याख्या अथवा अभिव्यक्ति के संबंध में किसी विवाद के मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

3. राज्य स्तरीय समिति का गठन:

(i) प्रत्येक राज्य इन दिशानिर्देशों में अनुबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगा।

(ii) राज्य स्रतीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष	अध्यक्ष
ख)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
ग)	कार्य योजनाओं/कार्यस्कीमों को तैयार करने के लिए राज्य वन विभाग के एक प्रतिनिधि, जो वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो	सदस्य
घ)	उद्योग विभाग के निदेशक/अपर निदेशक	सदस्य
ड.)	संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक स्वायतशासी जिला परिषद का प्रतिनिधि, यदि राज्य में ऐसी कोई परिषद विद्यमान है।	सदस्य

च)	वन विकास निगम का प्रतिनिधि, यदि राज्य में ऐसा निगम कार्यालय विद्यमान है।	सदस्य
छ)	एक अधिकारी जो वन मुख्यालयों में कार्यरत वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो	सदस्य सचिव

ज) राज्य स्तरीय समिति, वन विभाग के क्षेत्रीय स्कंध में कार्य कर रहे किसी भी अधिकारी को नामित कर सकती है, जो वन संरक्षक से नीचे के पद का न हो।

(iii) ऐसे राज्य, जहां राज्य स्तरीय समिति का संघटन पहले ही गठित किया जा चुका है, और जो इन दिशानिर्देशों में यथा अनुबद्ध से भिन्न है, इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन करेगा। राज्य स्तरीय समिति का गठन, विद्यमान राज्य स्तरीय समिति के पुनर्गठन होने तक दिए गए सुझावों द्वारा अथवा लिए गए निर्णयों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा।

(iv) राज्य स्तरीय समिति कम से कम तीन महीनों में एक बार बैठक करेगी।

(v) राज्य स्तरीय समिति की बैठक में स्थायी सदस्यों की कम से कम पचास प्रतिशत की गण-पूर्ति होगी।

(vi) राज्य स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति की प्रत्येक और हर बैठक में आरा-मिल संघ द्वारा नामित उद्योग के एक प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित करेगी।

4. राज्य स्तरीय समिति की शक्तियॉं और कार्य

राज्य स्तरीय समिति :

(i) हर पांच वर्षों में राज्य/संघ शासित प्रदेश के काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों हेतु इमारती लकड़ी की उपलब्धता का आकलन करेगी।

(ii) काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों हेतु भिन्न-भिन्न कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता की मात्रा का आकलन करेगी, जिसे राज्य-संघ शासित प्रदेश में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों से सतत रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

(iii) राज्य में घरेलू मार्केटों में इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की वार्षिक आवश्यकता का आकलन करेगी।

(iv) प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्थापना और प्रचालन हेतु अनुमत प्रत्येक काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई द्वारा प्रयुक्त इमारती लकड़ी और अन्य कच्ची सामग्री के डाटाबेस का रखरखाव करना।

(v) काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु उपयुक्त अवस्थानों को अनुमोदित करना।

(vi) काष्ठ आधारित उन औद्योगिक इकाइयों के नाम अनुमोदित करना जिनको नए अनुज्ञापत्र प्रदान करने अथवा जिनकी अनुज्ञापित क्षमता की अभिवृद्धि पर विचार किया जा सकता है यदि समिति इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि इमारती लकड़ी, उक्त नये काष्ठ आधारित उद्योगों (वन, वनों आदि के बाहर वृक्ष जैसे) के लिए विधिक रूप से उपलब्ध है।

(vii) राज्य स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्य वन विभागों के पास पड़ी (काष्ठ आधारित उद्योगों से वसूल की गई) धनराशि का उपयोग केवल वनीकरण हेतु ही किया जाएगा।

(viii) राज्य सरकार अथवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले की जांच करना और समुचित सिफारिश करना।

5. काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों के लिए इमारती लकड़ी की उपलब्धता का आकलन:

(i) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के काष्ठ आधारित उद्योगों की उपयोगिता हेतु उपलब्ध होने वाली इमारती लकड़ी की मात्रा का आकलन पांच वर्ष में एक बार, अध्ययन शुरू होने पर मुख्य रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के सहयोग से किया जाएगा। इस अध्ययन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा:-

(क) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य-योजनाओं/कार्य स्कीमों/प्रबंधन स्कीमों के अनुसार वन क्षेत्रों से निरंतर प्राप्त होने वाली ऐसी कच्ची सामग्री की मात्रा।

(ख) निजी वृक्षारोपण, कृषि वानिकी वृक्षारोपण और गैर-वन सरकारी भूमि इत्यादि पर किए गए वृक्षारोपण सहित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों से उपलब्ध ऐसी कच्ची सामग्री की मात्रा।

(ग) ऐसी इमारती लकड़ी का कुल अंतर्राज्यीय आयात; और

(घ) ऐसी इमारती लकड़ी का कुल अंतरराष्ट्रीय आयात।

6. **काष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा इमारती लकड़ी का अनुमानित वार्षिक उपभोग:** (i) आरा मिलों की इमारती लकड़ी की आवश्यकता का आकलन करने के उद्देश्य से उन्हें (क) 10 हार्स पावर तक की आरा मिलों (ख) 10 और 20 के बीच हार्स पावर की आरा मिलों (ग) 20 से 40 के बीच हार्स पावर की आरा मिलों (घ) 40 से 60 के बीच हार्स पावर की आरा मिलों और (अं) 60 से अधिक हार्स पावर की आरा मिलों में बांटा जा सकता है।

विभिन्न क्षमताओं के आरा मिलों के लिए गोल लट्ठे की वार्षिक आवश्यकता तकनीकी आंकड़ों अथवा नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(क) 10 से हार्स पावर और उससे कम की आरा मिलें : 540 क्यूबिक मीटर (आधार मान)

(ख) 10 से 20 हार्स पावर के बीच की आरा मिलें : 810 क्यूबिक मीटर (1.5 गुना आधार मान)

(ग) 20 से 40 की हार्स पावर के बीच की आरा मिलें : 1080 क्यूबिक मीटर (आधार मान का 2 गुना)

(घ) 40 से 60 की हार्स पावर के बीच की आरा मिलें : (आधार मान का 3 गुना)

(ङ) 60 से हार्स पावर से अधिक की आरा मिलें : (आधार मान का 4 गुना)

(iii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (इपिरिटी), बंगलौर द्वारा किए गए आकलन के अनुसार विभिन्न इकाइयों के लिए इमारती लकड़ी की आवश्यकता का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

7. **काष्ठ आधारित उद्योगों के स्थान निर्धारण पर प्रतिबंध**

(i) पूर्वोत्तर राज्यों अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में **काष्ठ आधारित उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर स्थापित करने की अनुमति होगी।**

(ii) उपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में निकटतम अधिसूचित वनों और संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से सामान्यत: 10 किलोमीटर आकाशीय दूरी के भीतर काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। लिखित में दर्ज कारणों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात राज्य स्तरीय समिति अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 किलोमीटर से कम आकाशीय दूरी पर काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने/प्रचालित करने की अनुमति दे सकती है।

8. **काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंस की स्वीकृति, नवीनीकरण और प्रतिसंहरण:**

(i) राज्य स्तरीय समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना काष्ठ आधारित किसी भी औद्योगिक इकाई के लाइसेंस को मंजूरी अथवा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

(ii) इस बारे में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी (मुख्य रूप से डीसीएफ/डीएफओ या समकक्ष) द्वारा दिए गए और उसके अनुसार लाइसेंस के सिवाय राज्य में काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई की स्थापना/प्रचालन नहीं किया जाएगा।

(iii) राज्य स्तरीय समिति पूर्ण रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयातित इमारती लकड़ी पर कार्य करने वाले काष्ठ आधारित उद्योगों की एक अलग सूची बना सकती है। ऐसे उद्योगों को दिए गए लाइसेंस में विशेष रूप से यह शर्त होगी कि ऐसी इकाइयों को देश में उत्पादित इमारती लकड़ी के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। यदि भविष्य में उपर्युक्त इकाइयां भारी मात्रा में उपलब्धता के कारण देश में उत्पादित लकड़ी का उपयोग करना चाहती हैं तो ऐसा करने के लिए उन्हें एसएलसी से विशेष अनुमति लेनी होगी।

एसएलसी सुनिश्चित करेगा कि घरेलू उत्पाद का प्रयोग करते हुए इकाईयों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। समिति द्वारा उन इकाईयों को नए लाइसेंस दिए जा सकते हैं जो राज्य/संघशासित क्षेत्र में काष्ठ उपलब्धता आकलन के परिणाम का ध्यान किए बिना पूर्णतया आयातित परिष्कृत पदार्थ का प्रचालन करती है।

(iv) किसी काष्ठ आधारित उद्योग को मंजूर लाइसेंस के निगर्मन अथवा नवीकरण की तिथि से पांच वर्षों के लिए मान्य रहेगा। तथापि, इन दिशानिर्देशों में किसी बात के शामिल होने के बावजूद भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी का, जहां यह विश्वास करने के कारण हों कि लाइसेंस धारक इन दिशानिर्देशों के उपबंधों अथवा लाइसेंस की शर्तों अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करके अथवा एक महीने का नोटिस देने के पश्चात् किसी समय वन संरक्षण के हित अथवा सार्वजनिक हित के प्रतिकूल कार्यकलापों में लिप्त होकर काष्ठ आधारित उद्योग का प्रचालन कर रहा है तो ऐसे काष्ठ आधारित उद्योग को एक महीने का नोटिस देकर उसका स्वीकृत लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

(v) काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाई को स्वीकृत लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन मान्य अवधि की समाप्ति के पूर्व कम से कम तीन (3) महीने पहले किया जाएगा।

(vi) बिक्री/सक्सेशन आदि संबंधी लाइसेंस का अंतरण राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

9. <u>राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील</u>

(i) राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय द्वारा पीड़ित कोई व्यक्ति 60 दिनों की अवधि के भीतर समुचित राहत की मांग करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष अपील कर सकता है।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख अपील दर्ज करने के 60 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

(iii) यदि किसी कारणवश, कोई व्यक्ति अपील में पारित आदेशों द्वारा पीड़ित होता है, तो वह वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उचित याचिका/आवेदन/अपील कर सकता है।

10. <u>फर्निचर इकाईयों के प्रचालन की शर्तें</u>

(i) फर्निचर इकाई की स्थापना और प्रचालन को लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) फर्निचर इकाई:

(क) तीस सेंटीमीटर डाईमीटर से अधिक वाले किसी बैंड आरा, अथवा रिप आरा अथवा सर्कुलर आरा का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ख) गोल लट्ठों को बदला नहीं जाएगा।

(ग) लाईसेंस प्राप्त आरा मिलों अथवा किसी अन्य वैध स्रोत से प्राप्त आरा ईमारती लकड़ी का ही प्रयोग किया जाएगा।

(घ) यदि फर्निचर इकाई किसी काष्ठ आधारित उद्योग के परिसर में अवस्थित है तो फर्निचर इकाई के प्रचालन के लिए लाइसेंस तथा समिति का अनुमोदन आवश्यक है।

(ड.) बांस, नरकट और बेंतों का प्रयोग किया जा सकता है।

(च) ऐसे रिकार्डों को बनाए रखा जा सकता है जैसा कि राज्य वन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

11. **काष्ठ आधारित उद्योगों द्वारा रिकार्डों का रख-रखाव किया जाएगा।**

(i) प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग, इन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद में यथा प्रदत्त रिकार्डों का रख-रखाव करेगा और नियमित रूप से अद्यतन करेगा।

[फा. सं. 3-3/2015 - एसयू (वाल्यूम-II)]

डॉ. रेखा पै, वन महानिरीक्षक

अनुबंध-I

ईमारती लकड़ी की आवश्यकता का आकलन

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई) बंगलौर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय ने 8 कार्य घंटे प्रतिदिन की औसत से क्रमश: 5 क्यूबिक मीटर और 11 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के रूप में प्लाईवुड/वेनियर इकाईयों में 4 फीट और 8 फीट आकार की छिलाई लंबाई हेतु ईमारती लकड़ी की आवश्यकता प्रति इकाई का आकलन कराया है। यह मानते हुए कि वर्ष में 300 दिनों के लिए औसत पर 8 घंटे प्रतिदिन छिलाई इकाई कार्य करती है, वेनियर इकाईयों में 4 फीट आकार की छिलाई लंबाई की सामान्य ईमारती लकड़ी की आवश्यकता 1500 क्यूबिक मीटर है। 4 फीट लंबाई मशीनों के समकक्ष संख्या की गणना करते हुए और 1500 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष के रूप में अपनी सामान्य संस्थापित क्षमता को लेते हुए एकल वेनियर इकाईयों के लिए कुल ईमारती लकड़ी की आवश्यकता का आकलन किया जा सकता है।

किसी प्लाईवुड इकाई की ईमारती लकड़ी की आवश्यकता को इस आधार पर 'शून्य' के रूप में लिया जा सकता है कि विनियर इकाईयों में ही ईमारती लकड़ी के रूप में गोल ईमारती लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और कि प्लाईवुड इकाईयां सेकंडरी प्रयोक्ता हैं जो विनियर इकाईयों द्वारा उत्पादित अपरिष्कृत पदार्थ के रूप में विनियर का प्रयोग करते हैं। प्लाईवुड इकाई, 8x4x6, 8x4x12, 8x4x15, 4x4x7, 4x4x10 जैसे विभिन्न आकारों की प्रेसों का प्रयोग करती है, एक '8x4' की एकता प्रेस आकार प्रति घंटे '8x4' आकार की 10 प्लाईवुड टुकड़े तक उत्पादन कर सकता है जबकि 8x4x15 क्षमता की प्रेस, '8x4' आकार प्रति घंटे के 15 प्लाईवुड टुकड़े तक का उत्पादन कर सकता है और शीघ्रता से। लाईवुड इकाईयों की मानक संस्थापित क्षमता तदनुसार प्रेसों की संख्या और प्रकार पर निर्भर करती है। प्रत्येक प्लाईवुड इकाई में संस्थापित प्रेसों की संख्या और प्रकार को मूल्यांकित किया जा सकता है और उसके पश्चात 8x4x10 क्षमता की समकक्ष संख्या अथवा प्रेसों की गणना की जा सकती है। 8x4x10 क्षमता प्रेस वाली एकीकृत प्लाईवुड इकाई हेतु मानक वार्षिक ईमारती लकड़ी की आवश्यकता 2000 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष के रूप में लिया जा सकता है, और तदनुसार प्लाईवुड इकाईयों हेतु ईमारती लकड़ी की कुल आवश्यकता की गणना की जानी चाहिए।

अनुसूची

प्रपत्र-I (आवती रजिस्टर)

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 में उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015 के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित)

काष्ठ-आधारित इकाई का नाम वन प्रभाग रजिस्टर खोलने की तारीख:---------

1(क) - आवती रजिस्टर - इमारती लकड़ी लॉग

दिनांक	विक्रेता का नाम और पता जिससे खरीदी गई है	पारणपत्र			परेषित माल में लॉग की क्रम सं. (यदि दी गई हो तो)	प्रकार	मापन (प्रत्येक टुकड़े (टुकड़ों का)			टिप्पणियां
		जारी करने वाला प्राधिकारी	संख्या	दिनांक			लम्बाई	घेरा	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 (ख)- आवती रजिस्टर - छोटी इमारती लकड़ी

दिनांक	विक्रेता का नाम और पता जिससे खरीदी गई है	पारणपत्र			प्रकार	मापन (प्रत्येक टुकड़ा (टुकड़ों) का)					टिप्पणियां
		जारी करने वाला प्राधिकारी	संख्या	दिनांक		टुकड़ों की संख्या (यदि एक से ज्यादा टुकड़े समान परिमाप के हैं तो)	लंबाई	चौड़ाई	गहराई	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1(ग)- आवती रजिस्टर -मुलम्मा

दिनांक	विक्रेता का नाम और पता जिससे खरीदी गई है	पारणपत्र			एनई के बाहर/ एनई के भीतर से लाया गया	क्या उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया अथवा अन्यथा (विक्रेता द्वारा)	प्रकार	क्या फलक/ क्रोड	मापन				टिप्पणियां
		जारी करने वाला प्राधिकारी	संख्या	दिनांक					मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में प्रमात्रा	वर्गमीटर में राष्ट्रीय क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1(घ)- आवती रजिस्टर -प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल, बोर्ड आदि

दिनांक	विक्रेता का नाम और पता जिससे खरीदी गई है	पारणपत्र (यदि लागू हो तो) अथवा कार्टिंग चालान			एनई के बाहर/एनई के भीतर से लाया गया	क्या उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया अथवा अन्यथा (विक्रेता द्वारा)	प्लाईवुड, एमडीएफ, पार्टिकल बोर्ड की किस्म	मापन				टिप्पणियां
		जारी करने वाला प्राधिकारी	सं.	दिनांक				मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में प्रमात्रा	वर्गमीटर में अनुमानित क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र-II (समपरिवर्तन पंजिका)

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 में उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015 के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित)

लकड़ी-आधारित इकाई का नाम वन प्रभाग रजिस्टर खोलने की तारीख:---------

II(क) - समपरिवर्तन रजिस्टर - छोटी इमारती लकड़ी

दिनांक	प्रकार	प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी		उत्पादित छोटी इमारती लकड़ी		टिप्पणियां
		लठ्ठों की सं.	आयतन सीयूएम	टुकड़ों की सं	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7

II(ख) - समपरिवर्तन रजिस्टर - मुलम्मा

दिनांक	प्रकार	प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी		प्रयुक्त छोटी इमारती लकड़ी (यदि कोई हो तो)		क्या फलक/क्रोड	उत्पादित मुलम्मा				टिप्पणियां
		लठ्ठों की सं.	आयतन सीयूएम	टुकड़ों की सं	आयतन सीयूएम		मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में फलक	वर्गमीटर में अनुमानित क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

II(ग) - समपरिवर्तन रजिस्टर - प्लाईवुड/ब्लॉकबोर्ड

दिनांक	प्रकार	प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी		प्रयुक्त छोटी इमारती लकड़ी (यदि कोई हो तो)		प्रयुक्त क्रोड मुलम्मा			प्रयुक्त फलक मुलम्मा			प्लाईवुड का उत्पादन					टिप्पणियां
		लठ्ठों की सं.	आयतन सीयूएम	टुकड़ों की सं	आयतन सीयूएम	मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में फलक क्षेत्र	आयतन (सीयूएम में)	मोटाई (मि.मी. में)	वर्गमीटर में फलक	आयतन (सीयूएम में)	श्रेणी	मोटाई	वर्ग मीटर में फलक	वर्गमीटर में अनुमानित क्षेत्र (4 मि.मी. तक मोटाई के साथ)	आयतन (सीयूएम में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

टिप्पण 1: प्रपत्र II (क) में प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी और उत्पादित कुल छोटी इमारती लकड़ी का प्रकार वार मासिक सार का उल्लेख किया जाए। प्रपत्र II (ख) प्रयुक्त इमारती लकड़ी, प्रकार वार और मोआई वार उत्पादित क्रोड और फलक मुलम्मा के प्रकार वार मासिक सार का उल्लेख किया जाए। प्रपत्र II (ग) प्रयुक्त इमारती लकड़ी/छोटी इमारती लकड़ी, प्रकार वार और मोटाई वार प्रयुक्त क्रोड और फलक मुलम्मा तथा श्रेणी वार उत्पादित प्लाईवुड का प्रकार वार मासिक सार का उल्लेख किया जाए।

टिप्पण 2: इमारती लकड़ी छोटी इमारती लकड़ी और मुलम्मा के लिए छह प्रमुख वाणिज्यिक प्रकारयों का अलग-अलग उल्लेख किया जाए। अन्यों को विविध श्रेणी के अंतर्गत सम्मिश्रित किया जाए। सही श्रेणीकरण का निर्धारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाए।

टिप्पण 3: प्रपत्र II (ख) के कॉलम 8 में उत्पादित मुलम्मे की सही मोटाई दी जाए। कॉलम संख्या 10 में, राष्ट्रीय क्षेत्र का उल्लेख 4मि.मी. मोटाई के साथ परिकलित करने के बाद किया जाए।

टिप्पण 4: प्रयुक्त गोल इमारती लकड़ी/छोटी इमारती लकडी की आंशिक रूप से प्रयुक्त इमारती लकड़ी/छोटी इमारती लकडी की वास्वितक प्रमात्रा का उल्लेख कॉलम 4 अथवा 6 (जैसा भी मामला हो), में किया जाए तथा इस संबंध में उपयुक्त प्रविष्टि अभ्युक्ति कॉलम में की जाए। प्रयुक्त इमारती लकड़ी के बचे हुए भाग का प्रयोग करते समय बाद में कॉलम 4/कॉलम 6 में अब प्रयुक्त वास्तिविक प्रमात्रा का उल्लेख किया जाए। लॉग की संख्या/छोटी इमारती लकड़ी के टुकड़ों की संख्या के प्रति कोई तदनुरूप प्रविष्टि कॉलम 3/कॉलम 5 में न की जाए तथ उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रविष्टि अभ्युक्ति कॉलम में की जाए।

टिप्पणी 5: केवल विशिष्ट इकाई के लिए लागू प्रपत्र ही भरा जाए उदाहरणार्थ आरा मिल इकाइयों के लिए केवल II (क) भरना ही अपेक्षित है उनके लिए बाकि प्रपत्र भरना अपेक्षित नहीं है।

प्रपत्र-III (प्रेषण पंजिका)

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 में उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015 के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित)

III (क): प्रेषण रजिस्टर - गोल इमारती लकड़ी

दिनांक	क्रेता का नाम और पता	प्रकार	टुकड़ों की सं.	लम्बाई	घेरा	आयतन (सीयूएम में)	कार्टिंग चालान		पारण पत्र			टिप्पणियां
							सं.	दिनांक	जारी करने वाला प्राधिकारी	सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

III (ख): प्रेषण रजिस्टर - छोटी इमारती लकड़ी

दिनांक	क्रेता का नाम और पता	प्रकार	टुकड़ों की सं.	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	आयतन (सीयूएम में)	कार्टिंग चालान		पारण पत्र			टिप्पणियां
								संख्या	दिनांक	जारी करने वाला प्राधिकारी	संख्या	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

III (ग) : प्रेषण रजिस्टर - मुलम्मा

तारीख	खरीदार का नाम और पता	प्रकार	उत्पाद-शुल्क देय है/देय नहीं है हां/नहीं	क्या फलक/अंतर्भाग	मोटाई	फलक क्षेत्र वर्ग मी. में	राष्ट्रीय क्षेत्र (4 मि.मी. की मोटाई सहित) वर्ग मी. में	आयतन घन मी. में	कार्टिंग चालान		पारगमन पत्र			अभ्युक्ति
									संख्या	तारीख	जारीकर्ता प्राधिकारी	संख्या	तारीख	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

III (घ) : प्रेषण रजिस्टर - प्लाईवुड

तारीख	खरीदार का नाम और पता	प्लाईवुड का प्रकार	उत्पाद-शुल्क देय है/देय नहीं है हां/नहीं	क्या फलक/अंतर्भाग	मोटाई	फलक क्षेत्र वर्ग मी. में	राष्ट्रीय क्षेत्र (4 मि.मी. की मोटाई सहित) वर्ग मी. में	आयतन घन मी. में	कार्टिंग चालान		पारगमन पत्र			अभ्युक्ति
									संख्या	तारीख	जारीकर्ता प्राधिकारी	संख्या	तारीख	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

टिप्पणी 1 : इमारती-लकड़ी, छोटी इमारती-लकड़ी और मुलम्मा की छः प्रमुख वाणिज्यिक किस्मों का पृथक रूप से उल्लेख किया जाएगा। अन्य को विविध श्रेणी के अंतर्गत मिश्रित किया जा सकता है। सटीक वर्गीकरण का निर्धारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी 2 : किसी विशेष इकाई के लिए लागू प्रपत्र ही केवल भरा जाएगा। उदाहरण के लिए, आरा मिल के लिए केवल III (क) और (ख) को ही भरना अपेक्षित है तथा III (ग) और III (घ) को भरना अपेक्षित नहीं है।

टिप्पणी 3 : III (ग) और III (घ) के कॉलम 6 में मुलम्मा/प्लाईवुड की वास्तविक मोटाई का उल्लेख किया जाना होगा।

प्रपत्र-IV (रूपांतरण रजिस्टर)

(डब्ल्यू.पी. संख्या 202/95 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 05.10.2015 के आदेश के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारण)

काष्ठ-आधारित इकाई का नाम **वन प्रभाग** **रजिस्टर खोलने की तारीख**

IV (क) स्टॉक रजिस्टर - गोल इमारती-लकड़ी

तारीख	प्रकार	ओपनिंग स्टॉक		दिन के दौरान प्राप्त		काटने के लिए प्रयुक्त		मुलम्मा/प्लाईवुड बनाने के लिए प्रयुक्त		गोल रूप में बेचा गया/वापस किया गया (इकाई के बाहर भेजा गया)		क्लोजिंग स्टॉक		अभ्युक्ति
		गट्ठों की संख्या	आयतन घन मी. में	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

IV (ख) स्टॉक रजिस्टर - गोल इमारती-लकड़ी

तारीख	प्रकार	ओपनिंग स्टॉक		दिन के दौरान प्राप्त (इकाई के बाहर से)		गोल इमारती-लकड़ी से परिवर्तित		चिराई के लिए बेचा गया/वापस किया गया		मुलम्मा/प्लाईवुड बनाने के लिए प्रयुक्त (यदि कोई हो)		क्लोजिंग स्टॉक		अभ्युक्ति
		पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	पीस की संख्या	आयतन (घन मी. में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

IV (ग) स्टॉक रजिस्टर - मुलम्मा

तारीख	प्रकार	ओपनिंग स्टॉक			दिन के दौरान प्राप्त (इकाई के बाहर से)			गोल/छोटी इमारती-लकड़ी से परिवर्तित			बेचा गया/वापस किया गया मुलम्मा (इकाई के बाहर भेजा गया)			प्लाईवुड बनाने के लिए प्रयुक्त			क्लोजिंग स्टॉक			अभ्युक्ति
		मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

IV (घ) स्टॉक रजिस्टर - प्लाईवुड

तारीख	प्लाईवुड का प्रकार	ओपनिंग स्टॉक			दिन के दौरान प्राप्त (इकाई के बाहर से)			मुलम्मा, गोल/छोटी इमारती-लकड़ी से परिवर्तित			इकाई के बाहर बेचा गया/वापस किया गया/ भेजा गया प्लाईवुड			क्लोजिंग स्टॉक			अभ्युक्ति
		मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	मोटाई (मि.मी. में)	फलक क्षेत्र (वर्ग मी. में)	आयतन (घन मी. में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

टिप्पणी 1 : ओपनिंग स्टॉक, प्राप्तियों, चिराई, मुलम्मा/प्लाईवुड बनाने के लिए प्रयुक्त इमारती-लकड़ी काटी गई इमारती-लकड़ी, मुलम्मा को इकाई से बाहर भेजने और क्लोजिंग स्टॉक का दैनिक, साप्ताहिक और मासिक प्रजाति-वार सार दर्ज किया जाएगा।

टिप्पणी 2 : इमारती-लकड़ी, छोटी इमारती-लकड़ी और मुलम्मा की छः प्रमुख वाणिज्यिक किस्मों का पृथक रूप से उल्लेख किया जाएगा। अन्य को विविध श्रेणी के अंतर्गत मिश्रित किया जा सकता है। सटीक वर्गीकरण का निर्धारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाएगा।

टिप्पणी 3 : किसी विशेष इकाई के लिए लागू प्रपत्र ही केवल भरा जाएगा। उदाहरण के लिए, आरा मिल के लिए केवल IV (क) को ही भरना अपेक्षित है तथा IV (ख), IV (ग) और IV (घ) को भरना अपेक्षित नहीं है।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Survey and Utilization Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th November, 2016

S.O. 3456(E).—In compliance of directions contained in the Order dated October 5th, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India is pleased to make the following guidelines, namely-

1. Short Title and commencement.

(i) These guidelines shall be called the Wood-Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016

(ii) These shall extend to whole of India.

(iii) These shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

States/UTs shall conform their rules according to these guidelines.

2. Definition.

(i) In these guidelines, unless the context otherwise requires –

(a) 'Furniture unit' mean plants and machinery and the premises including the precincts thereof in which or in any part thereof wood based finished products are manufactured using sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood or any other wood based product, except a round log, outsourced from licensed wood based industrial units or other legitimate sources and operating without a band saw or re-saw or circular saw of more than thirty centimeter diameter.

(b) 'Industrial Estate' means areas notified by the State Government or Union territory Administration for establishment of wood based industrial units.

(c) 'License' means a license granted under these guidelines.

(d) 'Principal Chief Conservator of Forests' means the Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) in the State and it will also include an officer designated as Head of Department in State/UT where no post in the rank of Principal Chief Conservator of Forests exists.

(e) 'Round log' means a piece of wood in its natural form, having mid girth of thirty centimeter or more under bark and it and will include such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or by using a band saw or any other machine or equipment to make its cross section square or near to square for the purpose of ease in its transportation and or storage.

(f) 'Saw Mill', means plants and machinery in a fixed structure or enclosure, for conversion of round logs into sawn sizes ;

(g) 'Sawn Timber' means beams, scantlings, planks, battens and such other product obtained from sawing of a round log.

(h) 'State Level Committee' means a Committee Constituted by the State Government under para 3 (2) of these guidelines.

(i) 'Net Inter-State Import of a timber for Wood Based Industries' means three years moving average of the net quantity of such timber actually imported in the State during the latest three calendar years.

(j) 'Veneer Mill or Plywood Mill' means plants and machinery and the premises in which or in any part thereof, conversion into required size, slicing, peeling, fashioning or seasoning of timber/ wood, including preservation and treatment thereof either by mechanical or chemical process with the aid of electrical or mechanical power or manually is carried out.

(k) 'Wood Based Industry' means any industry which processes wood as its raw material (Saw mills/veneer/plywood/pulp or any other form such as sandal, katha wood etc.). It includes a mill but does not include a furniture unit.

(l) 'Year' means a financial year from 1st day of April to 31st day of March of the following year.

(ii) Words and expressions used but not defined under these guidelines and defined in the Indian Forest Act, 1927 or the relevant local Forest Act as applicable in a State, and the rules framed thereunder shall have the meaning assigned to them in such Act or Rules.

(iii) In case of any dispute regarding interpretation of any word or expression, the decision of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be final.

3. **Constitution of the State Level Committee:**

(i) Each State shall constitute a State Level Committee to perform the functions stipulated in these guidelines.

(ii) The State Level Committee shall consist of the following:

a)	Principal Chief Conservator of Forests/Head of Forest Department	Chairperson
b)	A representative of the Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Member
c)	A representative of the State Forest Department not below the rank of a Conservator of Forests dealing with preparation of Working Plans/Working Schemes	Member
d)	Director/Additional Director of Department of Industries	Member
e)	Representative of the each Autonomous District Council constituted in accordance with the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution, in case any such Council exists in the State	Member
f)	Representative of the Forest Development Corporation, in case any such Corporation exists in the State.	Member
g)	An officer not below the rank of Conservator of Forests working in the Forest Head Quarters	Member Secretary

(h) The State Level Committee may nominate any other officer working in territorial wing of the Forest Department not below the rank of CF.

(iii) Such State where the composition of State Level Committee already constituted is different from as stipulated in these guideline, shall, within one year from the date of publication of these guidelines, re-constitute the State Level Committee. The reconstitution of the State Level Committee will be without any prejudice to the recommendations made or the decisions taken by the existing State Level Committee till its re-constitution.

(iv) The State Level Committee shall meet at least once in three months.

(v) The quorum of the State Level Committee meeting shall be at least fifty percent of permanent members.

(vi) SLC will invite one representative of the industry nominated by the saw-mill association as a special invitee to each and every meeting of the State Level Committee.

4. Powers and functions of the State Level Committee.

The State Level Committee shall:-

(i) Assess the availability of timber for wood based industrial units in the State/UT every five years.

(ii) Assess quantity of different raw material requirement for wood based industrial units which may be sustainably harvested from trees outside forest areas in the State/UT.

(iii) Assess annual requirement of timber and other forest produce in the domestic markets in the State.

(iv) Maintain a database of timber and other raw materials utilized by each wood based industrial unit permitted to establish and operate in the State/UT during each financial year.

(v) Approve appropriate locations for setting up of wood based industrial units.

(vi) Approve the name of wood based industrial units which may be considered for grant of fresh license or enhancement of the existing licensed capacity in case the committee is satisfied that timber is available legally for the said new Wood Based Industries (such as Trees outside forest, Forests etc.).

(vii) The State Level Committee will ensure that the amount lying with the respective State Forest Departments (recovered from Wood Based Industries) will be utilized for the purpose of afforestation only.

(viii) Examine and make appropriate recommendations on any other matter referred by the State Government or the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

5. Assessment of the availability of timber for Wood Based Industrial Units:

(i) The quantity of timber likely to be available for utilization of Wood Based Industries of different types in a State/UT shall be assessed as by commissioning study, preferably in collaboration with institutes/ universities of repute, once in five years. The study will take into account the following:- :-

(a) The quantity of such raw material that may be sustainably harvested from the forest areas as per the working plans/working schemes/ management plans duly approved by the competent authorities.

(b) The quantity of such raw material that is available from the trees outside forest areas, including the private plantations, agro-forestry plantations and plantations raised on non-forest government lands *etc*.

(c) Net inter-state import of such timber; and

(d) Net international import of such timber.

6. Estimated annual consumption of timber by wood based industries. (i) For the purpose of assessing the timber requirement of the Saw mills, they may be divided into (a) Saw mills upto 10 HP (b) Saw mills between 10 and 20 HP (c) Saw mills between 20 HP to 40 HP (d) Saw mills between 40 to 60 HP and (e) Saw mills above 60 HP.

The annual requirement of round log for Saw mills of different capacities may be fixed by the committee based on the technical data or as per the formula given below

(a) Saw mills of 10 HP and below: 540 cu.mt. (base value)

(b) Saw mills between 10 to 20 HP: 810 cu.mt. (1.5 time the base value)

(c) Saw mills between 20 to 40 HP 1080 cu.mt. (2 times of the base value)

(d) Saw mills between 40 to 60 HP 1620 cu.mt. (3 times of the base value)

(e) Saw mills above 60 HP 2160 cu.mt. (4 times the base value)

(ii) The Timber requirement for various units as assessed by Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPIRTI), Bangalore is given in **Annexure I.**

7. Restriction on location of wood based industries.

(i) In the North Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim the **wood based industries shall be permitted to be established within the industrial estates.**

(ii) In the States other than the afore-mentioned North Eastern States, wood based industries shall ordinarily be not allowed to be established within ten kilometers aerial distance from the boundary of nearest notified forests and protected areas. The State Level Committee for the reasons to be recorded in writing and after obtaining prior approval of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may permit to establish/operate a wood based industry at an aerial distance less than 10 kilometers from the boundary of a notified forest or a protected area.

8. Grant, renewal and revocation of a license to a wood based industry:

(i) No license to a wood based industrial unit shall be granted or renewed without obtaining prior approval of the State Level Committee.

(ii) No wood based industrial unit shall be established/ operate in a State except under and in accordance with the license granted by an officer authorized by the State Government in this regard (Preferably DCF/DFO or equivalent).

(iii) The State Level Committee may maintain a separate list of wood based industries working solely on the timber imported from international market. The license to such industries shall specifically contain a condition to the effect that such units shall not be allowed to use timber produced in country. If in future, the said units want to use timber produced in the country on account of abundant availability they will seek specific permission from SLC to do so.

The SLC will ensure that the interests of the units using domestic produce are protected. Fresh licenses can be granted by the Committee for units which operate solely on imported raw material irrespective of the result of wood availability assessment in the State/UT.

(iv) The license granted to a wood based industry shall remain valid for five years, from the date of such issue or renewal of License. However, notwithstanding anything contained in these guidelines, the Licensing Authority may, where there are reasons to believe that the Licensee is operating the wood based industry in contravention of the provisions of these guidelines or conditions of License or any Rules framed by the State Government or is in activities prejudicial to the interest of forest conservation or public interest, at any time after giving one month notice, revoke the license granted to such wood based industry.

(v) Application for renewal of license granted to a wood based industrial unit shall be made atleast three (3) months before the expiry of validity period.

(vi) Transfer of license on sale/succession etc shall be done only with the approval of State Level Committee.

9. Appeal against the decision of the State Level Committee.

(i) Any person aggrieved by any decision taken by the State Level Committee may file an appeal before the concerned Regional Office of the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change seeking appropriate relief within 60 days' time.

(ii) Head of Regional Office shall within 60 days of filing the appeal pass the appropriate Order.

(iii) If, for any reason, any person is aggrieved by the orders so passed in the appeal, he may prefer an appropriate petition/application/appeal to the DGF&SS/MoEF&CC.

10. Conditions governing operation of furniture units.

(i) The Establishment and operation of a furniture unit shall not require a Licence.

(ii) A furniture unit:

(a) shall not use any band saw, or rip saw or a circular saw having more than thirty centimeter diameter

(b) shall not convert round logs

(c) shall use only sawn timber sourced from licensed sawn mills or any other legitimate source.

(d) In case the furniture unit is located within the premises of any wood based industry, approval of the Committee and the license for operation of furniture unit is required.

(e) may use bamboos, reeds and canes.

(f) shall maintain such records as may be stipulated by the State Forest Department.

11. Records to be maintained by wood based industries.

(i) Each wood based industry shall maintain and regularly update records as given in schedule to these guidelines.

[No.3-3/2015-SU (Vol.II)]

Dr. REKHA PAI, Inspector General of Forests

Annexure I

Assessment of Timber Requirement

The Indian Plywood Industry Research and Training Institute (IPIRTI), Bangalore an autonomous body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has assessed the timber requirement per unit for peeling length of 4 feet and 8 feet size in the plywood/veneer units as 5 cu.mt. and 11 cu.mt. resp ectively per day on an average of 8 working hours per day. By assuming that the peeling units work for 8 hours per day on an average for 300 days in a year the normal timber requirement of the peeling length of 4 feet size in veneer units is 1500 cu.mt. The total timber requirement for the stand alone veneer units may be assessed by calculating the equivalent number of 4 feet length machines and by taking its normal installed capacity as 1500 cu.mt. per annum.

The timber requirement of a plywood unit may be taken as 'nil' on the ground that the round timber is used as timber in the veneer units only and that the plywood units are the secondary users which use the veneer as the raw material produced by the veneer units. The plywood units use presses of various sizes such as 8x4x6, 8x4x12, 8x4x15, 4x4x7, 4x4x10. A 8x4x10 capacity press can produce upto 10 plywood pieces of 8'x4' size per hour whereas a 8x4x15 capacity press can produce upto 15 plywood pieces of 8'x4' size per hour and so on. The normative installed capacity of the plywood units will accordingly depend upon the number and the type of presses. This number and type of presses installed in each of the plywood unit may be assessed and thereafter equivalent number or presses of 8x4x10 capacity may be calculated. The normative annual timber requirement for a integrated plywood unit having a 8 x 4 x 10 capacity press may be taken as 2000 cu.mt. per annum, and accordingly the total requirement of timber for the plywood units should be calculated.

SCHEDULE

PROFORMA –I (RECEIPT REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

Name of the Wood –Based Unit Forest Division Register Opened on

1(a)- RECEIPT REGISTER- TIMBER LOGS

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Serial No. of the log in the consignment (if given)	Species	Measurement (of each piece (s))			Remarks
		Issuing Authority	No.	Date			Length	Girth	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

1(b)- RECEIPT REGISTER – SAWN TIMBER

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Species	Measurement [of each piece (s)]					Remarks
		Issuing Authority	No.	Date		No. of Pieces (if more than one piece is of same dimension)	Length	Width	Depth	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

1(c)- RECEIPT REGISTER – VENEER

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass			Brought from outside NE/ within NE	Whether Excise paid or otherwise (by the seller)	Species	Whether Face/Core	Measurement				Remarks
		Issuing Authority	No.	Date					Thickness (in mm)	Quantity in Sq. m.	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

1(d) - RECEIPT REGISTER – PLYWOOD, MDF, PARTICLE, BOARD etc

Date	Name & Address of the seller from whom bought	Transit Pass (if applicable) or carting Challan			Brought from outside NE/ within NE	Whether Excise paid or otherwise (by the seller)	Type of plywood. MDF, Particle Board	Measurement				Remarks
		Issuing Authority	No.	Date				Thickness (in mm)	Quantity in Sq. m.	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

PROFORMA –II (CONVERSION REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

Name of the Wood –Based Unit Forest Division Register Opened on

II (a) - CONVERSION REGISTER-SAWN TIMBER

Date	Species	Round timber used		Sawn timber produced		Remarks
		No. of logs	Volume cum	**No. of Pcs.**	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II (b) - CONVERSION REGISTER- VENEER

Date	Species	Round Timber used		Sawn timber used (if any)		Whether Face/Core	Veneer Produced				Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)		Thickness in mm	Face area in sq. m	Notional area (with thickness as 4 mm) in sq. m.	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

II (c)
CONVERSION REGISTER- PLYWOOD/Blockboard

Date	Species	Round Timber used		Sawn timber used (if any)		Core Veneer used			Face veneer used			Production of plywood					Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)	Thick in mm	Face area in sq. m	Volume (in cum)	Thick in mm	Face area in sq. m	Volume (in cum)	Category	Thick	Face area in sq. m	National area (with thick as 4 mm) in sq. m	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

Note 1: In Proforma II (a) monthly species wise abstract of round timber used and total sawn timber produced is to be mentioned. In Proforma II (b) monthly species wise abstract of timber used, species wise and thickness wise core and face veneer produced is to be mentioned. In Proforma II (c) monthly species wise abstract of timber/sawn timber used species wise and thickness wise core and face veneer used and category wise plywood produced is to be mentioned.

Note 2: Six major commercial species for timber sawn timber and veneer are to be mentioned individually. The others may be clubbed under miscellaneous category. Exact categorization is to be decided by the Principal Chief Conservator of Forests.

Note 3: In column 8 of Proforma II (b) actual thickness of the veneer produced is to be given. In column No. 10 the national area is to be mentioned after calculating it with thickness as 4 mm.

Note 4: For partly used timber logs/sawn timber actual quantity of round timber/sawn timber used is to be mentioned in column 4 or 6 (as the case may be) and suitable entry to this effect is to be made in the Remarks column. While using the part used timber later on actual quantity now used is to be included in column 4/column 6. No corresponding entry towards no. of logs/sawn timber pcs. is to be made in column3/column 5 and suitable explanatory entry in remark column is to be made.

Note 5: Only the proforma applicable for the particular unit is to be filled in For example. Saw Mill units are required to fill in only II (a) are not required to be filled in.

PROFORMA –III (DISPATCH REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

III (a): DISPATCH REGISTER- ROUND TIMBER

Date	Name & Address of the purchaser	Species	No. of Pcs.	Length	Girth	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
							No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

III (b): DISPATCH REGISTER- SAWN TIMBER

Date	Name & Address of the purchaser	Species	No. of Pcs.	Length	Width	Depth	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
								No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

III (c): DISPATCH REGISTER- VENEER

Date	Name & Address of the purchaser	Species	Excise Payable/ not payable Yes/ No	Whether Face/ Core	Thickness	Face Area in sq. m	National area (with thick as 4 mm) sq. m	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
									No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

III (d): DISPATCH REGISTER- PLYWOOD

Date	Name & Address of the purchaser	Type of Plywood	Excise Payable/ not payable Yes/ No	Whether Face/ Core	Thickness	Face Area in sq. m	National area (with thick as 4 mm) sq. m	Volume in cum	Carting Challan		Transit Pass			Remarks
									No.	Date	Issuing Authority	No.	Date	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

Note 1: Six major commercial species for timber, sawn timber and veneer are to be mentioned individually. The others may be clubbed under miscellaneous category. Exact categorization is to be decided by the Principal Chief Conservator of Forests.

Note 2: Only the proforma applicable for the particular unit is to be filed in. For example. Saw Mill units are required to fill in only III (a) & (b), III (c) & III (d) are not required to be filled in.

Note 3: In Column 6 of III (c) & III (d) actual thickness of Veneer/ plywood is to be mentioned.

PROFORMA –IV (CONVERSION REGISTER)

(Prescribed under guidelines issued by Ministry of Environment & Forests in compliance of Supreme Court order dated 05.10.2015 in W.P. © No. 202/95)

Name of the Wood –Based Unit Forest Division Register Opened on

IV (a) STOCK REGISTER- ROUND TIMBER

Date	Species	Opening Stock		Received during the day		Used for sawing		Used for veneer/ Plywood making		Sold/ Returned in round form (dispatched outside the unit)		Closing stock		Remarks
		No. of logs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs.	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

IV (b) STOCK REGISTER- ROUND TIMBER

Date	Species	Opening Stock		Received during the day (from outside the unit)		Converted from Round timber		Sold/ Returned in sawn		Used for veneer/ Plywood making (if any)		Closing stock		Remarks
		No. of Pcs	Volume cum	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	No. of Pcs.	Volume (in cum)	No. of Pcs	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

IV (c) STOCK REGISTER- VENEER

Date	Species	Opening Stock			Received during the day (from outside the unit)			Converted from Round/ Sawn timber			Veneer Sold/ Returned (dispatched outside the unit)			Used for Plywood making			Closing stock			Remarks
		Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq.m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thick (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

IV (d)

STOCK REGISTER- PLYWOOD

Date	Type of Ply-wood	Opening Stock			Received during the day (from outside the unit)			Converted from Veneer Round/ Sawn timber			Plywood Sold/ Returned/ dispatched outside the unit			Closing stock			Remarks
		Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	Thickness (in mm)	Face area (in sq. m)	Volume (in cum)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Note 1: Daily, weekly & monthly species wise abstract of opening stock, receipts, timber used for sawing, veneer/ plywood making, dispatched outside the unit and closing stock of sawn timber, veneer is to be recorded.

Note2: Six major commercial species for timber, sawn timber and veneer are to be mentioned individually. The others may be clubbed under miscellaneous category. Exact categorization is to be decided by the Principal Chief Conservator of Forests.

Note 3: Only the proforma application for the particular units to be filled in for example. Saw Mills unit are required to fill in only IV (a) and IV (b), IV (c) and IV (d) are not required to be filled in.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.11.21 10:46:53 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2625] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2017/भाद्र 21, 1939
No. 2625] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017/BHADRA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(सर्वेक्षण और उपयोग प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

विषय: काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 में संशोधन।

का.आ. 3000(अ).—टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 11 नवम्बर, 2016 के संकल्प के द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ विचारों के आधार पर भारत सरकार ने दिशानिर्देशों को निम्न प्रकार से संशोधित करने का विनिश्चय किया है:—

1. दिशानिर्देशों के पैरा —2(i) के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:

(i) इन दिशानिर्देशों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

*(क) **'औद्योगिक सम्पदा'** से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है।*

*(ख) **'लाइसेंस'** से किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन में अधिसूचित नियमों के अधीन दिया गया लाइसेंस अभिप्रेत है।*

(ग) ***'प्रधान मुख्य वन संरक्षक'*** *से किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का वन अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें ऐसे किसी राज्य / संघ राज्यक्षेत्र, जहां प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का पद विद्यमान नहीं है, में वन विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित अधिकारी भी शामिल है।*

(घ) ***'गोल लट्ठा'*** *से अपने प्राकृतिक रूप में काष्ठ का ऐसा लट्ठा अभिप्रेत है जिसका छाल के नीचे का मध्य घेरा तीस सेन्टीमीटर का या उससे अधिक हो और इसमें छाल हटाये जाने के पश्चात ऐसा गोल लट्ठा भी शामिल है जिसकी सतह की इसके परिवहन और/या भंडारण में सुविधा के प्रयोजनार्थ इसके क्रॉस सेक्शन को वर्गाकार या लगभग वर्गाकार बनाने के लिए हाथ से या किसी बैंड सॉ या अन्य किसी मशीन या उपस्कर द्वारा छिलाई की गई है।*

(ड.) ***'आरा मिल'*** *से गोल लट्ठों को चीरे हुए काष्ठ में परिवर्तित करने के लिए किसी नियत संरचना या परिसर में स्थित संयंत्र और मशीनरी अभिप्रेत है।*

(च) ***'चीरी हुई इमारती लकड़ी'*** *से किसी गोल लट्ठे से प्राप्त शहतीर, कड़ी, तख्ते, पट्टे और अन्य ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं।*

(छ) ***'राज्य स्तरीय समिति'*** *से राज्य सरकार द्वारा इन दिशानिर्देशों के पैरा 3(2) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।*

(ज) ***'काष्ठ आधारित उद्योग'*** *से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है जो काष्ठ को कच्चे माल के रूप में संसाधित करता है (आरा मिल/वेनियर/प्लाइवुड या चंदन, कत्था की लकड़ी इत्यादि जैसा अन्य प्रकार)*

2. इन दिशानिर्देशों के ***पैरा-3*** *(ज) के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:-*

राज्य स्तरीय समिति वन विभाग के क्षेत्रीय स्कन्ध से ऐसे किसी अधिकारी को जो वन संरक्षक से नीचे के स्तर का न हो तथा सम्बद्ध राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के कृषि विभाग और राजस्व विभाग से अधिकारियों को सहयोजित कर सकती है।

3. इन दिशानिर्देशों के ***पैरा-4*** *के अधीन प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है :—*

राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) :—

(i) जैसे और जब यह विनिश्चय करे, मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में समुचित अध्ययन के द्वारा राज्य में काष्ठ की उपलब्धता का निर्धारण करेगी। एसएलसी ऐसे तरीके से जो क्षेत्र के वनों को प्रतिकूलत: प्रभावित न करे, काष्ठ के वहनीय उपयोग के लिए समुचित तंत्र की प्रकल्पना करेगी।

(ii) यदि एसएलसी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त नए काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए विधिक रूप से काष्ठ उपलब्ध है (जैसे वन, वनों इत्यादि के बाहर वृक्ष) तो वह ऐसे काष्ठ आधारित उद्योगों के नामों का अनुमोदन करेगी, जिन पर नया लाइसेंस दिये जाने या विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता को बढ़ाये जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

(iii) सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्य वन विभाग के पास रखी धन राशि (काष्ठ आधारित उद्योगों से वसूल की गई) का उपयोग केवल वनीकरण के प्रयोजनार्थ किया जाए।

(iv) राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए किसी अन्य मामले की जांच करेगी और समुचित अनुशंसाएं करेगी।

4. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-5** के अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

5. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-7 (ii)** के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा), निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दूरी के संबंध में, काष्ठ आधारित उद्योगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय/संबंधित राज्य के माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय अधिकारप्राप्त समिति के राज्य विशिष्ट आदेश/अनुमोदन के अनुसार प्रचालन की अनुमति दी जाएगी;

या, सड़क के किनारे/रेलवे के किनारे/नहर के किनारे के वृक्षारोपणों को छोड़कर निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी से अधिक, जो भी कम हो।

(ख) काष्ठ आधारित उद्योग को निकटतम अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी के निरपेक्ष, एक औद्योगिक संपदा अथवा एक नगरीय क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।

6. इन दिशा निर्देशों के पैरा-8 के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

i. किसी काष्ठ आधारित उद्योग को एसएलसी की पूर्वानुमति की प्राप्ति के बिना कोई लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा अथवा नवीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, एसएलसी द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग को लाइसेंस के नवीकरण की शक्ति संबंधित वन प्रभागीय वन अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकती है।

ii. निम्नलिखित उद्योग/प्रसंस्करण संयंत्र जो घरेलू मूल के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या 30 सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड आरा या री-सॉ या चक्रीय आरा के बिना प्रचालन करते हैं, के लिए लाइसेंस अपेक्षित नहीं होगा।

ऐसे उद्योग/प्रसंस्करण संयंत्र जिनमें निम्नलिखित का प्रयोग होता है :

क. चीरी हुई इमारती लकड़ी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाइवुड, वेनियर या जायज स्रोतों से प्राप्त आयातित लकड़ी

ख. ब्लॉक बोर्ड, एमडीएफ या जायज स्रोतों से प्राप्त इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद

ग. कृषि-वानिकी/कृषिगत फसलों के रूप में घोषित प्रजातियां और/या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त और जायज स्रोतों से प्राप्त गोल लट्ठे/इमारती लकड़ी

तथापि, संबंधित राज्य की एसएलसी द्वारा विशिष्ट अपेक्षा वाले ऐसे उद्योगों में 60 सेंटीमीटर तक व्यास के चक्रीय आरा को संस्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है।

ऐसे उद्योग संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग से पंजीकृत और विनियमित होंगे, जिसके ब्यौरे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विहित किए जाएंगे।

iii विक्रय/उत्तराधिकार इत्यादि की स्थिति में लाइसेंस का हस्तांतरण केवल एसएलसी के अनुमोदन से ही होगा।

7. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-9 (iii)** के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:

यदि किसी कारण से अपील में इस प्रकार पारित आदेश द्वारा कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में समुचित याचिका/आवेदन/अपील दायर कर सकता है।

8. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-10** के अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाता है।

9. इन दिशा निर्देशों के **पैरा-11 (i)** के अन्तर्गत प्रविष्टियां निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जाती हैं:—

प्रत्येक काष्ठ आधारित उद्योग नियमित आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव करेगा और अद्यतन करेगा।

10. दिशा-निर्देशों की **अनुसूची** का लोप किया जाता है।

[फा. सं. 3-3/2015-एसयू (खंड IV)]

सौमित्र दासगुप्ता, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(Survey and Utilization Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th September, 2017

Subject: Amendment in Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines, 2016.

S.O. 3000(E).—In compliance of directions contained in the order dated October 5th, 2015 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India and others, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India vide Resolution dated 11th November, 2016 had issued Wood Based Industries (Establishment and Regulation) Guidelines,

2016. Based on the comments/observations received from various stakeholders, including State Governments/UTs on these guidelines, the Government of India has decided to amend the guidelines as under:—

1. The entries under Para–**2 (i)** of the Guidelines are substituted with the following:

(i) In these guidelines, unless the context otherwise requires:—

(a) ***'Industrial Estate'*** *means areas notified by the State Government or Union Territory Administration for establishment of wood based industries.*

(b) ***'License'*** *means a license granted under the rules notified by a State/UT in pursuance of these guidelines.*

(c) ***'Principal Chief Conservator of Forests'*** *means a Forest officer of the rank of Principal Chief Conservator of Forests in a State/UT and it also includes an officer designated as Head of Forest Department in a State/UT where no post in the rank of Principal Chief Conservator of Forests exists.*

(d) ***'Round log'*** *means a piece of wood in its natural form, having mid girth of thirty centimeter or more under bark and it includes such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or by using a band saw or any other machine or equipment to make its cross section square or near-square for the purpose of ease in its transportation and/or storage.*

(e) ***'Saw Mill'****, means plants and machinery in a fixed structure or enclosure, for conversion of round logs into sawn timber.*

(f) ***'Sawn timber'*** *means beams, scantlings, planks, battens and such other product obtained from sawing of a round log.*

(g) ***'State Level Committee'*** *means a committee constituted by the State Government under para 3 (2) of these guidelines.*

(h) ***'Wood Based Industry'*** *means any industry which processes wood as its raw material (Saw mills/veneer/plywood or any other form such as sandal, katha wood etc.).*

2. The entries under **Para- 3 (h)** of these guidelines are substituted with the following:—

The State Level Committee may co-opt an officer from Territorial wing of the Forest Department not below the rank of CF and officers from Department of Agriculture and Department of Revenue of the concerned State/UT.

9. The entries under **Para- 4** of these guidelines are substituted with the following:—

The State Level Committee (SLC) shall: —

i. assess the availability of timber in the state by way of appropriate study on demand and supply as and when it decides. SLC shall devise suitable mechanism for sustainable use of timber in a way that does not affect the forests of the area adversely.

ii. approve the name of wood based industries which may be considered for grant of fresh license or enhancement of the existing licensed capacity in case the SLC is satisfied that timber is available legally for the said new Wood Based Industries (such as Trees outside forest, Forests etc.).

iii. ensure that the amount lying with the respective State Forest Departments (recovered from Wood Based Industries) is utilized for the purpose of afforestation only.

iv. examine and make appropriate recommendations or any other matter referred by the State Government to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

4. The entries under **Para- 5** of these guidelines are omitted.

5. The entries under **Para-7 (ii)** of these Guidelines are substituted with the following: —

(a) In the States/UTs (other than North Eastern States), in respect of distance from the boundary of nearest notified forests or protected areas, wood based industries shall be allowed to operate as per state-specific order/approval of the Hon'ble Supreme Court/Hon'ble High Court of the concerned state/Central Empowered Committee;

Or, beyond ten kilometers of aerial distance from the boundary of nearest notified forests or protected areas, excluding roadside/railway side/canal side plantations, whichever is less.

(b) *A Wood Based Industry can be established in an Industrial Estate or a Municipal area, irrespective of the aerial distance from the boundary of nearest notified forest or protected area.*

6. The entries under **Para- 8** of the Guidelines are substituted with the following:—

i. *No license to a wood based industry shall be granted or renewed without obtaining prior approval of the SLC. However, a SLC may delegate the power of renewal of license to a wood based industry to the Divisional Forest officers of the concerned Forest Divisions.*

ii. *Following industries/processing plants not using round logs of domestic origin or operating without a band saw or re-saw or circular saw of more than thirty centimeter diameter shall not require license.*

Industries/processing plants which use:

a. *sawn timber, cane, bamboo, reed, plywood, veneers or imported wood, procured from legitimate sources*

b. *block board, MDF or similar wood-based products, procured from legitimate sources*

c. *round log/timber from species declared as agro-forestry/agricultural crops and/or exempted from the purview of the felling and transit regime in the concerned state/UT, and procured from legitimate sources*

However, SLC of the concerned State may allow installation of circular saw of diameter upto 60 centimeter in such industries having specialized requirement.

Such industries shall be registered with the Forest Department of the concerned state/UT and shall be regulated, details of which are to be prescribed by the concerned state/UT.

iii. *Transfer of license on sale/succession etc shall be done only with the approval of SLC.*

7. The entries under Para-**9 (iii)** of the Guidelines are substituted with the following:—

If, for any reason, any person is aggrieved by the orders so passed in the appeal, he may prefer an appropriate petition/application/appeal in the High Court having jurisdiction over the concerned State/UT.

8. The entries under **Para-10** of these Guidelines are omitted.

9. The entries under **Para-11 (i)** of the Guidelines are substituted with the following:—

Each wood based industry shall maintain and regularly update records as per the formats, which may be prescribed by the concerned State/UT.

10. The **Schedule** to the Guidelines is deleted.

[F. No. 3-3/2015-SU (Vol. IV)]

SOUMITRA DASGUPTA, Inspector General of Forests

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.09.15 11:45:44 +05'30'